

झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राँची

(संसदीय अधिनियम के तहत 2009 में स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

सं. झा.के.वि./हि.क./कार्यशाला/08/2011/ 670

दिनांक: 06 नवंबर, 2015

सूचना


विश्वविद्यालय में दिनांक 09.11.2015 को अपराह्न 3.00 बजे प्रशासनिक भवन के बैठक कक्ष में "राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन" पर एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

प्रशासन के सभी अधिकारियों / कर्मचारियों से आग्रह किया जाता है कि उक्त कार्यशाला में भाग लेने का कष्ट करें।


हिन्दी अधिकारी

प्रतिलिपि: सूचनार्थ

1. कुलपति के निजी सचिव
2. कुलसचिव के निजी सचिव
3. वित्त अधिकारी के निजी सचिव
4. प्रशासन के समस्त अधिकारी/कर्मचारी
5. विश्वविद्यालय वेबसाइट
6. संबंधित फाइल
7. सूचना पट्ट


हिन्दी अधिकारी